

वित्तीय दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम : **Regional Programme Management Unit (RPMU)**

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) –

Regional Programme Management Unit (RPMU)

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – **A.10.4.8**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम)

बिहार की गणना बड़े राज्यों की श्रेणी में की जाती है। इसी कारण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारु ढंग से क्रियान्वित करने के लिए उद्देश्य से NRHM के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य बल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रमंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की गयी है।

इकाई राशि –

One Regional Programme Management Unit Expenses :

Sl.No.	Particular	No. of Post	Salary (PM)	Annual Increment 2011-12 (10%- After completion of one year service)	Expense	Amount (per Annum)
1.	Regional Programme Manager	1	43000	47300		533200
2.	Regional Accounts Manager	1	35000	38500		434000
3.	Regional M & E Officer	1	30000	33000		372000
4.	HMIS Supervisor	1	12000	13200		148800
5.	Accountant	1	10000	-		120000

Recurring Expenses :

6.	RPMU recurring expenses (TA/DA, hired vehicle, Generator, Building Rent/ Renovation, Office Expenses, Meeting, Medical Allowance, Phone/Internet, Office Assistant, Furniture, Electrical Goods etc.)				100000	1200000
	Total					28,08,000

9 Regional Programme Management Unit Expenses (2808000 x 9) =

2,52,72,000

वित्तीय दिशा-निर्देश-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को आवंटित की जाती है। Divisional ASHA Coordinator भी चूंकि RPMU के एक सदस्य हैं, अतः आवश्यकतानुसार RPM, RAM, Regional M & E Officer एवं HMIS Supervisor के साथ-साथ इनके द्वारा recurring expense का उपयोग किया जा सकता है।

इस वर्ष के PIP में प्रत्येक RPMU में एक-एक Accountant की नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गयी है। इस नियुक्ति के संबंध में आरक्षण रॉस्टर का निर्धारण कर पद की विज्ञप्ति राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर निकाली जाएगी तथा आवेदकों से आवेदन संबंधित RPMU में प्राप्त कर चयन की कारवाई RPMU द्वारा की जाएगी। उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी –

(क) शैक्षणिक योग्यता – बी०कॉम।

(ख) अनुभव – लेखा कार्यों का कम से कम 1 वर्षों का अनुभव।

(ग) कम्प्यूटर के जानकार (विशेषकर Tally) उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

चयन समिति – RPMU में Accountant की नियुक्ति करने हेतु चयन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा –

क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें – अध्यक्ष

क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक – सदस्य

क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक – सदस्य

प्रतिनिधि, प्रमंडलीय आयुक्त – सदस्य

स्थानीय जिले के सिविल सर्जन – सदस्य

(वैसे जगह पर जहाँ सिविल सर्जन, क्षेत्रीय उपनिदेशक के प्रभार में हैं, वहाँ उनके स्थान पर स्थानीय ACMO अथवा स्थानीय सदर अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक रहेंगे)

* राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 22884 दिनांक 17/01/2011 के आलोक में RPMU Accountant का ग्रेड Executive ग्रेड होगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या, तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 22884 दिनांक 17/01/2011

(ख) राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 22836 दिनांक 17/01/2011

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम –

जय प्रकाश सिंह (बि०प्र०से०)

वरीय उप-समाहर्ता-सह-प्रभारी, मानव संसाधन (182)